लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(सम विश्वविद्यालय)

<u>टैक्सियों / वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा दस्तावेज सह प्रपत्र</u>

ए) पात्रता मानदंड

बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित पूर्वनिर्धारित मानदंड को पूरा करने तथा **संलग्नक** 'ए' में दिए गए प्रारूप में तकनीकी बोली को प्रस्तुत करने तथा पात्र घोषित होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की विधिवत रूप से हस्ताक्षरित / स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों को तकनीकी बोली के साथ एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर **"टैक्सियों / वाहनों को किराए पर लेने के लिए तकनीकी बोली"** लिखा होना चाहिए, प्रस्तुत करना आवश्यक है: -

1. "रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई" के पक्ष में ग्वालियर में देय रुपये 10,000/- के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी.।
2. नगर निगम में बोलीकर्ता की एजेंसी का "टूर एंड ट्रैवल एजेंसी / फर्म" के रूप में निगमन / दुकान पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
3. बोलीकर्ता के नाम पर टैक्सी के रूप में कम से कम 5 वाहन पंजीकृत होने चाहिए (ऐसे सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन और वैध व्यापक बीमा पॉलिसियों की प्रतियां प्रस्तुत करनी आवश्यक हैं)।
4. पिछले तीन माह के जीएसटी रिटर्न की प्रति के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
5. बोलीकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन)।
6. पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार (संलग्नक - सी में दिए गए प्रपत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार का प्रमाण पत्र" तथा आयकर रिटर्न के साथ इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट प्रस्तुत करें)।
7. सरकारी संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों / शैक्षिक संस्थानों को वाहन प्रदान करने का तीन वर्ष का अनुभव, तथा उनके द्वारा जारी किया गया संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र।
8. बोलीकर्ता द्वारा रुपये 100/- के गैरन्यायिक स्टांप पर इस आशय का वचन पत्र, कि
   (अ) फर्म / एजेंसी को किसी भी सरकारी विभाग / सार्वजनिक उपक्रम / संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है;
   (ब) बोलीकर्ता फर्म के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है;

बी) **मूल्य बोली प्रस्तुत करना :**

मूल्य बोली संलग्नक 'बी' प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी, जिसके ऊपर विधिवत रूप से **"टैक्सियों / वाहनों को किराये पर लेने हेतु मूल्य बोली"** लिखा होना चाहिए।

(सी) **निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया:**

1. निविदाओं को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसके ऊपर **"टैक्सियों / वाहनों को किराये पर लेने हेतु निविदा"** लिखा हो, तथा इसे निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित की गयी तिथि और समय तक उप कुलसचिव (संपदा) के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डालना होगा। निविदाओं को स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है, जिनके लिफाफे पर उपर्युक्त विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए और ऐसे मामलों में, यह बोली लगाने वाले का उत्तरदायित्व होगा कि वह डाक निर्धारित की गयी तिथि और समय तक संस्थान में पहुंच जाए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. मुख्य निविदा लिफाफे में निम्नलिखित दो सीलबंद लिफाफे रखे होने चाहिए :-

लिफाफा क्रमांक 1 - **संलग्नक 'अ'** में दिए गए प्रारूप में **"तकनीकी बोली"** अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें एवं आंतरिक लिफाफे पर **"तकनीकी बोली"** लिखे ;

लिफाफा क्रमांक 2 - ई.एम.डी. के रूप में रु. 10000/- का बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करें, एवं आंतरिक लिफाफे पर **"ई.एम.डी."** लिखे ;

लिफाफा नंबर 3 - **संलग्नक 'बी'** में दिए गए प्रारूप में **"मूल्य बोली"** प्रस्तुत करें, **जिसमें** दर / राशि को निर्धारित स्थान पर अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना चाहिए। प्रस्तुत की गयी दरें जी.एस.टी. से पृथक होंगी, जिसका भुगतान समय-समय पर लागू दरों के अनुसार होगा।

3. तकनीकी बोली के सभी पृष्ठों पर विधिवत रूप से पृष्ठ संख्या लिखी होनी चाहिए तथा पृष्ठ के नीचे बोलीकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि, जिसके पास पॉवर ऑफ अटार्नी हो, के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।
4. मूल्य बोली भी उपर्युक्तानुसार विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
5. सशर्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

6. संस्थान तकनीकी बोली खुलने से पहले किसी भी कारण से, संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से निविदा दस्तावेज में उपयुक्त संशोधन कर सकता है। इस बारे में संभावित बोलीकर्ताओं से अलग से किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
7. बोलीकर्ता निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे और तदनुसार दोनों प्रारूपों (तकनीकी और मूल्य) के सभी कॉलमों को स्पष्ट रूप से भरेंगे। ऐसा न करने पर संस्थान बोली अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
8. अपूर्ण भरी हुई निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
9. अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद असफल निविदाकर्ता को ईएमडी को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। सफल निविदाकार द्वारा सुरक्षा निधि जमा करने के बाद ई.एम.डी. वापिस की जावेगी।
10. यदि बोलीकर्ता बोली की वैधता अवधि के भीतर अपनी बोली को वापस ले लेता है या उसमें संशोधन या किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो बोलीकर्ता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
11. यदि सफल बोलीकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर रु. 25,000/- की आवश्यक सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
12. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश या प्रचार करना पूर्णत: प्रतिबंधित है एवं जो बोलीकर्ता ऐसा करता है, उसकी बोली को अस्वीकृति किया जा सकता है।
13. उन बोलीकर्ताओं के साथ किसी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा, जिन्हें तकनीकी बोली के आधार पर अपात्र पाया गया हो।

(डी) बोलियों का खुलना:

1. सर्वप्रथम तकनीकी बोली और ईएमडी वाले आंतरिक लिफाफों को दि. 19.08.2019 को सायं 4 बजे एलएनआईपीई, ग्वालियर में बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा।

2. केवल तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीकर्ताओं के मूल्य बोली वाले लिफाफे को बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में दिनांक 26.08.2019 को सायं 04 बजे खोला जाएगा।

3. अगर किसी भी कारण से निर्धारित समय पर मूल्य बोलियां नहीं खोली जाती हैं, तो तकनीकी रूप से सफल बोलीकर्ताओं को बोली खोलने की अगामी तिथि एवं समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

हालाकि, यदि किसी कारण से उपर्युक्त तिथि को कार्यालय में अवकाश होता है, तो बोलियों को अगले कार्य दिवस पर उसी समय खोला जाएगा।

(ई) बोलियों को अस्वीकृत करना :

1. यदि उपर्युक्त सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तथा तकनीकी बोली प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा नहीं जाता है या निविदा शुल्क और/ या ईएमडी के बिना निविदा प्रस्तुत की गयी हो, तो बोलीकर्ता की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा;

2. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश या प्रचार करना पूर्णत: प्रतिबंधित है एवं जो बोलीकर्ता ऐसा करता है, उसकी बोली को अस्वीकृति किया जा सकता है।

3. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा और तदनुसार इसे प्रारूप (तकनीकी और मूल्य) में भरना होगा। ऐसा न करने पर संस्थान को निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
4. अहस्ताक्षरित या अपूर्ण निविदाओं को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
5. संस्थान को बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार है।
6. तकनीकी बोलियों के आधार पर निरस्त बोलीकर्ताओं के साथ किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
7. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बोलीकर्ता को स्वीकार्य होगा।

(एफ) ठेके की अवधि :

1. ठेके के दिनांक 01.09.2019 से प्रारंभ होने की संभावना है और इस निविदा दस्तावेज के शर्तों और दशाओं पर इसकी अवधि एक वर्ष होगी।

2. संस्थान को पूर्ववर्ती अवधि/ वर्ष के दौरान ठेकेदार फर्म के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर ठेके को वार्षिक आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार है, बशर्ते कि ठेकेदार समान शर्तों और दशाओं और किराये की समान दरों पर कार्य करने के लिए सहमत हो।

3. ठेकेदार फर्म द्वारा सेवा या निष्पादन में कमी होने पर अनुबंध को निर्धारित समयावधि के पूर्व भी बंद/ समाप्त किया जा सकता है।

4. अनुबंध की अवधि के पूरा होने पर यह स्वत: समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उपर्युक्त विवरण के अनुसार ठेका अवधि में विस्तार न किया गया हो।

(जी) **निष्पादन सुरक्षा जमाराशि:**

1. सफल बोलीकर्ता / ठेकेदार को रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई, ग्वालियर के पक्ष में रु. 25000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की निष्पादन सुरक्षा जमाराशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा, जो ग्वालियर में देय हो या आरटीजीएस के माध्यम से एलएनआईपीई के बैंक खाते में, या रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई, ग्वालियर के नाम से सावधि जमा द्वारा प्रस्तुत करनी होगी, जिसे अनुबंध के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से परे साठ दिनों की न्यूनतम अवधि तक मान्य होना चाहिए।
2. ठेके की अवधि या विस्तारित ठेका अवधि, यदि हो, के सफल / संतोषजनक रूप से पूर्ण होने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के बाद निष्पादन सुरक्षा जमाराशि वापसी योग्य है, बशर्ते ठेकेदार ने संस्थान की संतुष्टि के अनुसार अपने सभी संविदात्मक/ वैधानिक दायित्वों को पूरा किया हो, अन्यथा इसे सुरक्षा जमाराशि से ही समायोजित किया जाएगा।
3. इस निष्पादन जमाराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा में निर्धारित किसी भी शर्त और दशा के उल्लंघन होने की स्थिति में, संस्थान द्वारा ठेका रद्द करने के अलावा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा
5. यदि ठेकेदार फर्म, किसी भी कारणवश ठेके की निर्धारित अवधि के लिए सेवा प्रदान करने में विफल रहता है या संस्थान की संतुष्टि के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, या ठेके की किसी शर्त और दशा का उल्लंघन करता है, तो संस्थान के पास ईएमडी और/ अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करने, जैसा भी मामला हो, तथा ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा। संस्थान के पास ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।

(एच) अनुबंध की सामान्य शर्तें :

1. ठेका प्राप्त होने / समझौते की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसे पक्षकारों की परस्पर सहमति से वार्षिक आधार पर दो साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते ठेकेदार का प्रदर्शन / सेवा संतोषजनक पायी जाती है।
2. ठेका या विस्तारित अवधि के दौरान टैक्सियों / वाहनों की आपूर्ति के लिए अनुमोदित दरों में बढ़ोतरी के किसी भी अनुरोध, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. वित्तीय बोली में उद्धृत दरें एक वर्ष या उसके बाद विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान स्थिर रहेंगी और सभी करों (जीएसटी आदि) के अलावा होंगी।

4. स्थानीय रूप से प्रयोग के लिए किराये पर ली गयी टैक्सियों के मामले में, 40 किलोमीटर या 4 घंटे, को आधा दिन माना जाएगा, और 80 किलोमीटर या 8 घंटे, को पूरा दिन माना जाएगा।
5. प्रदान किए गए वाहनों को टैक्सी के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत होना चाहिए और वाहन के पास ग्वालियर से बाहर जाने की अनुमति होनी चाहिए।
6. उपलब्ध कराए गए वाहन को ठेकेदार के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए, और यह 2 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा अच्छी एवं साफसुथरी स्थिति में होना चाहिए।
7. यह ठेकेदार का कर्तव्य है कि वह संस्थान को ऐसे वाहनों को किराए पर उपलब्ध कराये, जिनका समग्र बीमा हो तथा परिवहन विभाग / प्राधिकरण द्वारा जारी आवश्यक परमिट हो।
8. यह सुनिश्चित करना ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि उपलब्ध कराये गए वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और वाहन को किराए पर लेने की अवधि के दौरान वह अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा कागजात, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि साथ रखे।
9. वाहन चालक को सदैव ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी सफेद वर्दी में होना चाहिए। उसके पास मोबाइल फोन होना चाहिए तथा उसका व्यवहार विनम्रतापूर्ण होना चाहिए। यदि वाहन को दिल्ली यात्रा के लिए किराए पर लिया गया है तो वाहन चालक को आमतौर पर दिल्ली के प्रमुख मार्गों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
10. ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए किराए के वाहन के किसी भी तरह के चालान, हानि, क्षति, चोट, दुर्घटना आदि के लिए अथवा किराए के वाहन के उपयोग के फलस्वरूप किसी अन्य वाहन को हुई क्षति, हानि, दुर्घटना इत्यादि के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
11. ईंधन, मरम्मत, रखरखाव, वाहन चालक के वेतन आदि से संबंधित सभी खर्च ठेकेदार द्वारा ही वहन किए जाएंगे।
12. ठेकेदार के पास समय-समय पर संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी सभी आवश्यक मंजूरी प्रमाण पत्र होने चाहिए।
13. संस्थान सामान्यत: एक दिन पहले ठेकेदार को टैक्सियों / वाहनों की मांग के बारे में सूचित करेगा। हालाकि, ठेकेदार को अल्पावधि सूचना, जैसे 01 घंटे पूर्व, पर भी टैक्सी / वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।
14. ठेकेदार को प्रयोग किए गए प्रत्येक वाहन की यात्रा अवधि और माइलेज का समुचित रिकॉर्ड रखना और प्रत्येक ड्यूटी के उपरांत प्रयोक्ता के हस्ताक्षर लेना आवश्यक होगा। यात्रा से पहले और बाद में, प्रयोक्ता के समक्ष वाहन की मीटर रीडिंग को ड्यूटी स्लिप में नोट करना आवश्यक होगा, जिसपर प्रयोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे। यह ड्यूटी पर नियुक्त चालक की जिम्मेदारी होगी कि वह ड्यूटी स्लिप पर प्रयोक्ता के हस्ताक्षर ले, जिसे भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले बिल के साथ

संलग्न किया जाना आवश्यक है। ड्यूटी स्लिप के प्रयोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित न होने अथवा देयक के साथ ड्यूटी स्लिप संलग्न न होने पर उसे भुगतान हेतु अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

15. किराए पर उपलब्ध कराये गए वाहन स्वच्छ हालत में होने चाहिए। वाहन की सीटें आरामदायक होनी चाहिए और उन पर हमेशा स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले सीट कवर लगे होने चाहिए, अन्यथा कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान आने पर, वैकल्पिक व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, ऐसा न हो पाने पर टैक्सी को बाजार से किराए पर लिया जाएगा और होने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
17. यदि ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अपेक्षित संख्या में वाहनों की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो संस्थान ठेकेदार के जोखिम और लागत पर वाहन को अन्य फर्मों से किराये पर लेने का अधिकार रखता है। वैकल्पिक व्यवस्था और निविदा मूल्य के बीच लागत के अंतर को ठेकेदार द्वारा वसूल किया जाएगा, या सुरक्षा जमा से समायोजित किया जाएगा।
18. यदि ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार ठेके को पूरा करने में विफल रहता है, तो संस्थान को ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि को पूरी या आंशिक रूप से जब्त करने का अधिकार होगा।
19. निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
20. संस्थान, ठेकेदार को एक माह का नोटिस देकर बिना किसी कारण बताए ठेके को समाप्त करने का अधिकार रखता है।
21. ड्यूटी पर्ची और कार्य आदेश के साथ प्रयोक्ताओं की संतोषजनक कार्य रिपोर्ट के साथ दो प्रतियों में देयक प्राप्त होने पर ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा।
22. उप-ठेका करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
23. यदि ठेकेदार फर्म, किसी भी कारणवश अनुबंध की अवधि के दौरान सेवा प्रदान करने से इंकार करता या संस्थान की संतुष्टि के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, या अनुबंध की किसी शर्त और दशा का उल्लंघन करता है, तो संस्थान के पास 01 माह के नोटिस पर ठेका निरस्त कर ईएमडी और/ अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करने और जैसा भी मामला हो, ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा। संस्थान के पास ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।
24. संस्थान इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों से आईटी अधिनियम एवं समय-समय पर लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर ही आयकर और अन्य देय करों की कटौती करेगा।
25. निविदा प्रदान करने का मानदंड बोलीकर्ता द्वारा सबसे कम उद्धृत दरों पर आधारित होगा।
26. एजेंसी के अंतिम रूप से चयन के पूर्व संस्थान के पास उद्धृत दरों के औचित्य को पूछने का अधिकार है।

(आई) व्यावसायिक नैतिकता और गोपनीयता का रखरखाव:

1. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार, उनके अधिकृत प्रतिनिधि, कर्मचारी और कार्मिक नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे।
2. ठेकेदार को व्यावसायिक नैतिकता और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और किसी व्यक्ति/ पार्टी/ फर्म या किसी तीसरे पक्ष के साथ संस्थान के आंतरिक विवरण को साझा नहीं करना चाहिए।

(ई) मध्यस्थता और न्यायक्षेत्र :

1. इस निविदा के फलस्वरूप उत्पन्न या उससे संबंधित किसी विवाद/ मतभेद, जिसमें शर्तों और दशाओं की विवेचना शामिल है, को संबंधित पक्षों द्वारा परस्पर आपसी चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्वक हल किया जाएगा।

2. हालाँकि, यदि विवादों का समाधान आपसी चर्चा के माध्यम से नहीं होता है, तो मामले को मध्यस्थता अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, जिसे कुलपति, एलएनआईपीई, ग्वालियर द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

3. यदि प्रकरण मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा भी नहीं सुलझता है, तो इस विवाद का निपटारा केवल ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही होगा।

संलग्नक 'ए'

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(सम विश्वविद्यालय)

"स्थानीय प्रयोग और शहर से बाहर जाने के लिए टैक्सियों / वाहनों को किराये पर लेने हेतु"

तकनीकी बोली के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	**विवरण**	**क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं**	**यहां जानकारी दें**	**पृष्ठ संख्या पर प्रतिलिपि संलग्न करें**
1	फर्म / कंपनी / एजेंसी / ठेकेदार का नाम। प्रोपराइटर का नाम।			
2	पूरा पता, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट आदि।			
3	"टूर एंड ट्रैवल एजेंसी / फर्म" के रूप में बोलीकर्ता फर्म के निगमन की तिथि **(सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें)**	**हां**		
4	"रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई" के पक्ष में रु. 10,000/- की ग्वालियर में देय ईएमडी का विवरण ।	**हां**	**बैंक ड्राफ्ट नं.** **दिनांक** **राशि** **बैंक का नाम एवं शाखा**	पृथक लिफाफे में संलग्न करें
5	पूर्ववर्ती तीन महीनों के जीएसटी रिटर्न के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सत्यापित दस्तावेज़ संलग्न करें)	**हां**		

6	बोलीकर्ता के नाम पर टैक्सी के रूप में पंजीकृत न्यूनतम 05 वाहन होने का विवरण। **(सभी वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र और वैध समग्र बीमा पॉलिसियों की प्रतियां प्रस्तुत करें)**	**हां**		
7	आयकर अधिनियम के तहत जारी बोलीकर्ता की स्थायी खाता संख्या (पैन)। **(इसकी प्रति संलग्न करें)**	**हां**		
8	पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार **(निविदा के संलग्नक - सी में निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार प्रमाण पत्र" के साथ इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न संलग्न करें)**	**हां**	<u>वित्तीय वर्ष</u> <u>कारोबार</u>	
9	सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षिक संस्थान 03 वर्ष तक संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र के साथ वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव **(दस्तावेज़ प्रस्तुत करें)**	**हां**		
10	बोलीकर्ता द्वारा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि - (ए) बोलीकर्ता को किसी भी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ शैक्षिक संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है (बी) बोलीकर्ता फर्म के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।	**हां**		

वचनपत्र

1. मैंने/हमने निविदा दस्तावेज को सामान्य शर्तों और दशाओं, कार्य के दायरे और वर्गीकरण सहित सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम इनके पालन का वचन देते हैं।
2. मैं/ हम इस बात की पुष्टि करता/ते हूँ/हैं कि इस निविदा में दी गई सभी सूचनायें, मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और इसमें कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है।
3. मैं/ हम यह सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और मुझे/हमें स्वीकार्य होगा।

ठेकेदार का हस्ताक्षर: _____

एजेंसी का नाम: _____

पता और फ़ोन: _____

रबर की मुहर: _____

संलग्नक 'बी'

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(सम विश्वविद्यालय)

"स्थानीय प्रयोग और शहर से बाहर जाने के लिए टैक्सियों / वाहनों को किराये पर लेने हेतु"

मूल्य बोली के लिए प्रपत्र

वाहन के प्रकार	(*) स्थानीय किराये की दरें				(*) शहर से बाहर के किराये की दरें	
	4 घंटे / 40 कि.मी.		8 घंटे / 80 किलोमीटर			
	ए.सी. के साथ	बिना ए.सी.	ए.सी. के साथ	बिना ए.सी.	ए.सी. के साथ	बिना ए.सी.
इनोवा / क्रिस्टा / ज़ाइलो या समकक्ष						
इंडिगो / डिजायर / एस एक्स फोर या समकक्ष						
विस्टा / स्विफ्ट या समकक्ष						
मिनी बस 24-सीटर						
बड़ी बस 50+ सीटर						
रात्रि पड़ाव शुल्क, यदि कोई हो।	लागू नहीं	लागू नहीं				
अतिरिक्त घंटे / किलोमीटर शुल्क						

(*) उद्धृत दरों पर समय-समय पर लागू होने वाले जीएसटी अतिरिक्त रूप से देय होगा। टोल और पार्किंग शुल्क भी अतिरिक्त और वास्तविक दर पर देय होगा।

बोलीकर्ता का हस्ताक्षर: _____

एजेंसी का नाम: _____

पता और फ़ोन: _____

रबर की मुहर: _____

संलग्नक 'सी'

"एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा टैक्सियों / वाहनों को किराये पर लेने हेतु जारी निविदा का अनुबंध प्राप्त करने के निए फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के लिए"

<u>कारोबार का प्रमाणपत्र</u>

(मूलप्रति में प्रस्तुत किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ..... का पिछले तीन वर्षों में कारोबार और अर्जित हानि/लाभ निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रुपये में)	कुल लाभ/हानि

उपरोक्त जानकारी/ आंकड़े हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं और उक्त फर्म की बैलेंस शीट और/ या आयकर रिटर्न से प्राप्त हुए हैं।

दिनांक :

स्थान :

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर

पंजीकरण संख्या . .....

बोलीकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद् द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन तीनों वित्तीय वर्षों की संलग्न बैलेंस शीटों और आयकर रिटर्न के आधार पर इसकी शुद्धता/ सत्यता का वचन देते हैं। मैं/ हम इस बात से अवगत हैं कि किसी भी गलत सूचना/ मनगढ़ंत दस्तावेज को प्रस्तुत करने से अनुबंध की अवधि के दौरान या किसी भी स्तर पर मेरी/ हमारी निविदा निरस्त हो जाएगी, साथ ही समुचित कानून के तहत अभियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित): _____